निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1936 (शo)

(सं0 पटना 608) पटना, मंगलवार, 22 जुलाई 2014

समाज कल्याण विभाग

———————

अधिसूचनाएं

11 जुलाई 2014

सं0 3126—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा समाज कल्याण विभाग के नियंत्राधीन समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत **गृहपति–सह–लिपिक** संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– (1) यह नियमावली बाल संरक्षण गृहपति–सह–लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :–

   (i) **'संवर्ग'** से अभिप्रेत है बाल संरक्षण गृहपति–सह–लिपिक संवर्ग;

   (ii) **'आयोग'** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

   (iii) **'नियुक्ति प्राधिकार'** से अभिप्रेत है समाज कल्याण निदेशालय;

   (iv) **'नियंत्री पदाधिकारी'** से अभिप्रेत है निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय;

   (v) **'नियत तिथि'** से अभिप्रेत है इस नियमावली के आरंभ होने की तिथि;

   (vi) **'सीधी भर्ती'** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति;

   (vii) **'सदस्य'** से अभिप्रेत है बाल संरक्षण गृहपति–सह–लिपिक सेवा में नियुक्त व्यक्ति;

   (viii) **'गृहों'** से अभिप्रेत है ''किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम'', 2000 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अधीन संचालित गृह;

   (ix) **'सरकार'** से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार।

3. **संवर्ग की संरचना** ।– यह संवर्ग समाज कल्याण निदेशालय के प्रशासी नियंत्रण में होगा। इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदों का संवर्ग संरचना निम्नवत होगी :–

क्र0	कोटि का नाम	स्तर
(क)	गृहपति–सह–लिपिक	मूल कोटि
(ख)	वरीय गृहपति–सह–लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर

उक्त पदों का वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

4. **संवर्ग बल।**– संवर्ग बल ऐसा होगा जो समाज कल्याण विभाग के नियंत्राधीन समाज कल्याण निदेशालय द्वारा समय–समय पर निश्चित किया जाय।

5. **भर्ती।**– (i) गृहपति–सह–लिपिक का शत प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा।

(ii) सभी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर गृहपति–सह–लिपिक की कोटि में की जाएगी।

(iii) **नियुक्ति प्राधिकार** प्रत्येक वर्ष की एक अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेंगे और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देंगे।

(iv) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची विभाग में अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध रहेगी।

(v) सम्यक सत्यापन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर करेगा।

6. **अर्हता।**– (i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होगी।

(ii) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो **राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग)** द्वारा समय–समय पर निश्चित की जाय।

7. **आरक्षणः**– भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर, यथा अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **परिवीक्षा।**– प्रत्येक भर्ती दो वर्षों के लिए परिवीक्षा पर होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार आगे एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो तो अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जाएगा।

9. **विभागीय परीक्षा।**– (1) विभागीय परीक्षा **राजस्व पर्षद** द्वारा संचालित की जाएगी।

(2) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 % अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रथम पत्र

सेवा नियमावली – बिहार सेवा संहिता, किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम'', 2000 (समय–समय पर यथा संशोधित), बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2012 तथा हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण।

द्वितीय पत्र

वित्तीय नियमावली – कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस ऐंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली।

10. **सम्पुष्टि।**– कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता एवं कम्प्युटर टंकण जाँच में उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जाएगा।

11. **वरीयता।**– संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अवधारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी परन्तु इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी ;

परन्तु अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे, जो संबंधित भर्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं;

परन्तु और कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

12. **प्रोन्नति।**– मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति समाज कल्याण विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी। प्रोन्नति के लिए सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा निश्चित कालावधि पूरा करना आवश्यक होगा।

संवर्ग के सदस्यों की सभी प्रोन्नतियों के लिए अभ्यार्थियों कों ससमय विभाग/सक्षम प्राधिकार द्वारा विनिश्चित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, किन्तु ससमय प्रशिक्षण आयोजित नहीं होने की दशा में उनकी प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।

13. **संवर्ग का स्तर।**– यह संवर्ग राज्यस्तरीय होगा।

14. **अवशिष्ट मामले।**– ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं; संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

15. **कठिनाई का निराकरण।**– यदि इस नियमावली में किसी प्रावधान के कियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार समय–समय पर ऐसा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो इस नियमावली के प्रावधानों से अंसगत न हो ओर कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक एवं समीचीन हो।

16. **निर्वचन।**– जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो **सामान्य प्रशासन विभाग** द्वारा विनिश्चिय किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

17. **निरसन और व्यावृत्ति ।**– (1) इस संबंध में सभी संकलप एवं आदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे संकल्प आदेश अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी मानी जायेगी मानेा यह उस दिन प्रवृत थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रामाशीष पासवान,
सरकार के विशेष सचिव।

The 11th July 2014

No. 3126—In exercise of the powers conferred under proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and conditions of service of the House Master cum Clerk of Social Welfare Directorate under Department Of Social Welfare.

1. **Short title, extent and commencement**-
   (i.) These Rules may be called as the Child Protection House Master cum clerk (recruitment and conditions of service) Rules, 2014.
   (ii.) It shall extend to whole of the State of Bihar.
   (iii.) It shall come into effect from the date of publication in the official Gazette of Bihar.

2. **Definitions**.- In these Rules, unless otherwise requires in the context :-
   (i.) **"Cadre"** means the Child Protection House Master cum Clerk cadre.
   (ii.) **"Commission"** means the Bihar Staff Selection Commission.
   (iii.) **"Appointing Authority"** means Directorate Social Welfare.
   (iv.) **"Controlling Officer"** means Director, Directorate Social Welfare.
   (v.) **"Fixed date"** means the date of commencement of these Rules.
   (vi.) **"Direct Recruitment"** means appointment based on competitive examination held by the 'Bihar Staff Selection Commission'.
   (vii.) **"Member"** means any person appointed in Child Protection House Master cum Clerk cadre.
   (viii.) **"Homes"** means homes running under 'Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act' 2000 (as amended from time to time)
   (ix.) **"Government"** means the Government of Bihar.

3. **Cadre structure** – The cadre structure of House Master-cum-Clerk shall under administrative control of Directorate Social Welfare cadre structure of post of different categories of this cadre shall be as follows:-

Sl.No.	Name of categorieso	Level
(a)	House Master-cum-Clerk	Basic grade
(b)	Senior House Master-cum-Clerk	First promotion Level

Pay Band of the cadre shall be such as determined by the Government from time to time.

4. **Cadre strength.** – The cadre strength shall be such as may be determined by the Directorate Social Welfare under Social Welfare Department from time to time.

5. **Recruitment.** –
   (1) Hundred Percent posts of House Master-cum-Clerk shall be filled up through direct recruitment.

(2) All recruitments shall be made to the category of House Master-cum-Clerk on the recommendation of the Commission.

(3) The appointing authority shall calculate the vacancies on the basis of 1st April every year and shall send the requisition to the commission by the 30th April.

(4) The commission shall advertise the vacancies and after selection of successful candidates on the basis of competitive examination shall recommend the name of the candidates in order of merit to the concerned appointing authorities. The merit list remain valid for one year from the date receipt of the recommendation in the department.

(5) After the due verification, the appointing authority shall appoint the candidate on probation for a period of 2 years.

6. **Qualification:-**

(1) The minimum educational qualification shall be Graduation from any recognized university.

(2) Minimum age for recruitment shall be eighteen years and maximum age shall be the same as may be determined by the State Government (General Administration Department) from time to time.

7. **Reservation**.- Compliance of reservation/roster in recruitment as well as promotion, as notified by the State Government from time to time, shall be necessary.

8. **Probation**.- Every appointment shall be on probation for two years and in special circumstances it may be extended for further one year by the appointing authority, if the probation period is satisfactory then Such extension shall be made only when appointment authority is of the opinion that the probationer has a chance to improve. If the service is not found satisfactory in extended period, The concerned person will be terminated from service.

9. **Departmental examination**.-

(1) Departmental examination shall be conducted by the Board of Revenue.

(2) There shall be two papers in the departmental examination and it will be necessary to obtain minimum 40% mark to pass in each subject.

Paper.-1:

Service Rules:- Bihar Service Code, Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (as Amended from time to time), Bihar Juvenile Justice Rule 2012, and Hindi Noting and Drafting.

Paper.-2:

Financial Rules: - Treasury Code, Financial Rules, Practice and Procedure, Board Miscellaneous Rules, General Provident Fund Rules, Travelling Allowances Rules.

10. **Confirmation.** – Any probationer, after satisfactory completion of probation period and passing the required Departmental Examination along with passing the test of competency in typing on computer shall be confirmed.

11. **Seniority**.- Inter-se seniority of the member of the cadre shall be according to their merit position determined by the Commission but the inter-se seniority decided before the commencement of these rules shall remain unchangeable.

Provided that the person appointed on the basis of compassionate ground shall be junior to such persons who have been appointed by the competitive examination in the concerned recruitment years : -

Provided further that in any recruitment year the person appointed by promotion shall be senior to the person appointed by the competitive examination in the concerned recruitment year.

12. **Promotion.** – Promotion from basic grade to higher category will be given on the basis of recommendation of Departmental Promotion Committee constituted by the Social Welfare Department. To complete the KALAWADHI as determined by the General Administration department shall be necessary for promotion.

For all promotions, all candidates will have to complete the training determined by the Department/Appointing Authority in time but in case not holding training programs in time, their promotions will not be obstructed.

13. **Level of cadre**- This cadre shall be of state level.

14. **Residuary matters.-**

In such matters which are not specifically covered by these Rules, the members of this cadre shall be governed by the Rules, Regulations or orders applicable to the appropriate level of the officers/employees of the State Government.

15. **Removal of difficulties.-**

If any difficulties arises in implementation of any of the provisions of the rules ,the government may , by general or special order , make such provisions, from time to time , which are not inconsistent with the provisions of the said rules and necessary or expedient for removing the difficulty.

16. **Interpretation.-**

If any doubt arises in the interpretation of any provision of these rules, the decision shall be made by Department of General Administration and its decision shall be final.

17. **Repeal & Savings.-**

(1) All resolutions, orders, circulars in this respect are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal , anything done or nay action under such resolutions, instructions shall be deemed to have been done or taken under these Rules as if it were come into force on the day on which such work was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
RAMASHISH PASWAN,
Special Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 608-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in